न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 156/2019

1. रामचन्द्र आयु 35 साल आ0 छीतर लाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. रमेशचन्द आयु 33 साल आ0 छीतर लाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. छोटूलाल आयु 31 साल आ0 छीतर लाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल आयु 65 साल आ0 मंगला जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0 पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादीगण की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2— प्रतिवादी की और सें श्री महावीर प्रसाद बागडी एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 18.11.2019

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 15.10.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 53 पुराना 45 की कृषि भूमि खसरा संख्या 164 रकबा 1.22 है0, खसरा संख्या 169 रकबा 1.57 है0, खसरा संख्या 192 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.55 है0 वाके ग्राम व माल विजयनगर पटवार हल्का गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। मूल पुरूष मंगला है मंगला का पुत्र छीतरलाल है और छीतर लाल के पुत्र रामचन्द्र, रमेशचन्द्र, छोटूलाल है। वादीगण को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो सें पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है जिसमें वादीगण 1/4—1/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण पृथक—पृथक रूप से अपने खाते में दर्ज करवाना चाहते है क्योकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तकरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/4–1/4 हिस्से का पृथक–पृथक बटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादीगण के वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया और वाद वर्णित भूमि को वादीगण के खाते दर्ज करने पर सहमति प्रदान की तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और सें दिनांक 13.11.2019 को राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.11.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 53 की खसरा संख्या 169 रकबा 1.57 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी संख्या 1 रामचन्द्र आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 53 की खसरा संख्या 192 रकबा 1.76 है0 में से 1.60 है0 दक्षिण दिशा की वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी संख्या 2 रमेशचन्द आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 53 की खसरा संख्या 164 रकबा 1.22 है0 सम्पूर्ण, खसरा संख्या 192 रकबा 1.76 है0 मे सें 0.16 है0 उत्तर दिशा की कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी संख्या 3 छोटूलाल आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी तथा खाता संख्या 53 वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 छीतरलाल के हिस्से में कोई कृषि भूमि नही रहेगी व प्रतिवादी संख्या 1 छीतरलाल के खाता संख्या 91 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1258 रकबा 0.06 है0, खसरा संख्या 1260 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में यथावत दर्ज रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

18/11/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

रामचन्द्र v/s छीतरलाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 156/2019

वादीगण की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महावीर प्रसाद बागडी की उपस्थिति में आज दिनांक 18.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 53 की खसरा संख्या 169 रकबा 1.57 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी संख्या 1 रामचन्द्र आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 53 की खसरा संख्या 192 रकबा 1.76 है0 में से 1.60 है0 दक्षिण दिशा की वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी संख्या 2 रमेशचन्द आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या नया 53 की खसरा संख्या 164 रकबा 1.22 है0 सम्पूर्ण, खसरा संख्या 192 रकबा 1.76 है0 मे सें 0.16 है0 उत्तर दिशा की कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी संख्या 3 छोटूलाल आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी विजयनगर तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से में रहेगी तथा खाता संख्या 53 वाके ग्राम व माल विजयनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में प्रतिवादी संख्या 1 छीतरलाल के हिस्से में कोई कृषि भूमि नही रहेगी व प्रतिवादी संख्या 1 छीतरलाल के खाता संख्या 91 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1258 रकबा 0.06 है0, खसरा संख्या 1260 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में यथावत दर्ज रहेगी एवं बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज ..... ग ..... मुबलिक .....ग ..... बाबत .....ग ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... ग ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक .....ग ..... को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.11.2019 को जारी की गई।

(मोहर)

18/11/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.12.06 16:05:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: